झारखण्ड सरकार
विज्ञान प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी एवं उद्योग विभाग, राँची

अधिसूचना

संख्या 339 दिनांक 2.3.2001

नवसृजित झारखंड राज्य के नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारों के नियंत्रण एवं निर्देशन के लिये पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य में इस हेतु लागू 'बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम–1974' एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमावली' को तत्काल प्रभाव से झारखंड राज्य द्वारा अंगीकृत किया जाता है ।

'बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम–1974' एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमावली' में प्रत्युक्त 'बिहार' शब्द के स्थान पर 'झारखंड' शब्द प्रतिस्थापित होगा और अब यह अधिनियम एवं नियमावली 'झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम–2001' एवं 'झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमावली–2001' के रूप से क्रमशः जाना जाएगा एवं इसी रूप में लागू समझा जाएगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से
ह0/–जे0बी0तुबिद
सचिव
विज्ञान प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी
एवं उद्योग विभाग, झारखंड, राँची

ज्ञापांक 339 /राँची, दिनांक 2.3.2001
सं0सं06/उ0विविध प्राधिकार–12/2001

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राँची को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त राजपत्र की 100 प्रतियाँ विज्ञान प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी एवं उद्योग विभाग, झारखंड, राँची को भी उपलब्ध करायी जाए।

ह0/–जे0बी0तुबिद
सचिव
विज्ञान प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी
एवं उद्योग विभाग, झारखंड, राँची

ज्ञापांक 339 /राँची, दिनांक 2.3.2001

सं0सं06/उ0विविध प्राधिकार-12/2001

प्रतिलिपि - प्रबंध निदेशक, सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-जे0बी0तुबिद

सचिव

विज्ञान प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी

एवं उद्योग विभाग, झारखंड, राँची